P. Saxena Registrar



महामाया प्राविधिक विश्वविद्यालयं Mahamaya Technical University

C-22, Sector-62, Noida, G. B. Nagar (U.P.) - 201301

Ph. 0120-2472704/708 Fax: 0120 2472704

पत्र संख्या:-एम०टीत्यू०/कुल० का०/सम्बद्धता/2013/ЦЦӨ 9

दिनांक:- 1506 2013

सेवा में

-Director, ABES Engineering College, Ghaziabad. (C.Code-032)

विषय :- संस्था को शैक्षिक सत्र 2013-14 हेतु सम्बद्धता के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने की अपेक्षा है कि शासन के पत्र संख्याः 1346/सोलह -1-2012- 13 (03)/2013 दिनॉक 14.05.2013 के द्वारा, उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 की धारा 23(2) एवं उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम 2010 एवं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अनुमोदन के कम में एवं महामाया प्राविधिक विश्वविद्यालय, गीतमयुद्धनगर की कार्यपरिषद् के अनुमोदन की प्रत्याशा में निम्न पाठ्यक्रमों उनके सम्मुख अंकित प्रवेश क्षमता

B.Tech (EN(120), CS(180), EC(180), IT(60), ME(120), CE(120))

2nd Shift B.Tech (CS(60), EC(60), ME(60))

MCA

MBA

(120)

2MBA

(60)

स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन शैक्षिक सत्र 2013-14 हेतु सम्बद्धता की स्वीकृत प्रदान की यई है :-

1. संस्था व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन/उ०प्र० प्राविधिक विश्वविद्यालय/महामाया प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश/शुल्क के सम्यन्ध में समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित नियमानुसार अनुमन्य फीस ही प्रवेशित छात्रों से लेंगी अन्यथा सम्बद्धता सम्बन्धी विशेषाधिकार को कम करने अथवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

2. संस्था को सम्बद्धता प्राप्त हो जाने के उपरान्त यदि संस्था द्वारा दर्शायी गयी सूचनाओं / विवरण में किसी भी प्रकार की तुटि शासन/विश्वविद्यालय के संज्ञान में आती है तो संस्था को प्रदत्त सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जाएगी।

संस्था से एक माह के अन्दर, संस्था में कार्यरत शिक्षकों की सूची विश्वविद्यालय को प्रस्तुत की जायेगी ताकि इसे निर्देशानुसार उ०प्र० शासन को प्रस्तुत किया जा सके। त्तंस्था द्वारा महानाया प्राविधिक विश्वविद्यालय, गौतमबुद्ध नगर को अपनी वेबसाइट पर यह सूचना उपलब्ध करायी जायेगी कि

उनके द्वारा छात्रों से क्या फीस ली गयी है, अन्यथा संस्था के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही किये जाने पर विद्यार किया जायेगा। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का अनुमोदन प्राप्त न होने अथवा समाप्त होने की दशा में सम्बद्धता का यह अनुमोदन

स्वतः निरस्त हो जायेगा।

6. संस्था में पायी गयी कमियों का पूर्ण रूपेण निराकरण हो जाने के पश्चात ही प्राविधिक विश्वविद्यालय से आगामी वर्ष अर्थात् 2014-15 की सम्बद्धता विस्तारण की संस्तुति की जा संकेगी और तभी संस्था को प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित किया जा

7. बी०फार्मा पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाएं नियमतः फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इंग्डिया एवं बी०आर्क० पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाए नियमानुसार आर्कीटेक्चर काउन्सिल आफ् इंडिया से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें।

संस्था का शैक्षिक वर्ष के अन्तर्गत किसी भी समय आकस्मिक निरीक्षण विश्वविद्यालय द्वारा किया जा सकेगा और उक्त आकरिमक निरीक्षण में निर्धारित मानकों के सापेक्ष कोई किमयाँ नहीं है. संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

जिन संस्थाओं की अभातिशिप एवं विश्वविद्यालय के मानकों के सम्बन्ध में शासन अथवा विश्वविद्यालय स्तर से कोई निरीक्षण अथवा जांच की जाती है अथवा कोई नोटिस जारी की जाती है तो सम्बन्धित संस्था(ओं) की सम्बद्धता तद कार्यवाही के अधीन



10. प्रश्नगत संस्था द्वारा प्रवेश में उ.प्र. शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2006 का अनुपालन किया जायेगा।

उपर्युचा शतों के अनुपालन में अथवा संस्था के आकिस्मिक निरीक्षण में किसी प्रकार की किन्याँ पायी जाने/विचलन की स्थिति में संस्था को सम्बद्धता सम्बन्धी विशेषाधिकार को कम करने अथवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

(पी०संप्रसेना)

कुलसचिव

भवदीय

पृष्टांकन संख्या व दिनांक : उपरोक्त्

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- प्रमुख सचिव, कुलाधिपति / श्री राज्यपाल महोदय, राजभवन, लखनऊ ।
- सचिव, प्राविधिक शिक्षा विनाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- अध्यक्ष, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली।
- 4. सम्बन्धित संस्था की पत्रावली।
- गार्ड फाइल।

(पी०संक्सेना)

P. Saxena Registrar



महामाया प्राविधिक विश्वंविद्यालय Mahamaya Technical University

C-22, Sector-62, Noida, G. B. Nagar (U.P.) - 201301 Ph. 0120-2472704/708

Fax: 0120 2472704

पत्र संख्या:-एम०टी०यू०/कुल० का०/सम्बद्धता/2013/Ц७13

दिनांक:- 15/05/13

सेवा में,

Director,
ABES Engineering College, Ghaziabad
(C.Code-032)

विषय :- संस्था को शैक्षिक सन्न 2013-14 हेत् सम्बद्धता के सम्बन्ध में।

महोदय,

जपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने की अपेक्षा है कि शासन के पत्र संख्याः 1382 / सोलह −1−2013− 13(03) / 2013TC दिनॉक 15.05.2013 के द्वारा, उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 की घारा 23(2) एयं उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम 2010 एवं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अनुमोदन के कम में एवं महामाया प्राविधिक विश्वविद्यालय, गौतमबुद्धनगर की कार्यपरिषद के अनुमोदन की प्रत्याशा में निम्न पाठ्यक्रमों उनके सम्मुख अंकित प्रवेश क्षमता के साथ

क्षमता वृद्धि

B. Tech (1T-60 # 120)

(MCA-60 計120)

नया पाठ्यक्म

M.Tech (ME-18)

स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत निम्नतिखित शर्तों के अधीन शैक्षिक सत्र 2013-14 हेतु सम्बद्धता की स्वीकृत प्रदान की गई है :-

- 1. संस्था व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन/उ०प्र० प्राविधिक विश्वविद्यालय/महामाया प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश/शुल्क के सम्बन्ध में समय—समय पर जारी किये गये दिशा—निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित नियमानुसार अनुमन्य फीस ही प्रवेशित छात्रों से लेंगी अन्यथा सम्बद्धता सम्बन्धी विशेषाधिकार को कम करने अथवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
- संस्था को सम्बद्धता प्राप्त हो जाने के उपरान्त यदि संस्था द्वारा दर्शायी गयी सूचनाओं/विवरण में किसी भी प्रकार की बुटि शासन/विश्वविद्यालय के संज्ञान में आती है तो संस्था को प्रदत्त सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जाएगी।
- संस्था से एक माह के अन्दर, संस्था में कार्यरत शिक्षकों की सूची विश्वविद्यालय को प्रस्तुत की जायेगी ताकि इसे निर्देशानुसार उ०प्र० शासन को प्रस्तुत किया जा सके।
- 4. संस्था द्वारा महामाया प्राविधिक विश्वविद्यालय, गौतमबुद्ध नगर को अपनी देवसाइट पर यह सूचना उपलब्ध करायी जायेगी कि उनके द्वारा छात्रों से क्या फीस ली गयी है, अन्यथा संस्था के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही किये जाने पर विचार किया जायेगा।
- 5. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का अनुमोदन प्राप्त न होने अथवा समाप्त होने की दशा में सम्बद्धता का यह अनुमोदन स्वतः निरस्त हो जायेगा।
- 6. संस्था में पायी गयी किमयों का पूर्ण रूपेण निराकरण हो जाने के पश्चात ही प्राविधिक विश्वविद्यालय से आगामी वर्ष अर्थात् 2014—15 की सम्बद्धता विस्तारण की संस्तुति की जा सकेगी और तभी संस्था को प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित किया जा सकेगा।
- ग्री की कार्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाएं नियमतः फार्मेसी कार्यन्सल ऑफ इण्डिया एवं बी०आर्क० पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाए नियमानुसार आर्कीटेक्चर कार्यन्सल आफ इंडिया से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें।
- 8. संस्था का शैक्षिक वर्ष के अन्तर्गत किसी भी समय आकिस्मक निरोक्षण विश्वविद्यालय द्वारा किया जा सकेगा और उक्त आकिस्मक निरीक्षण में निर्धारित मानकों के सापेक्ष कोई किमयाँ नहीं है, संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
- 9. जिन. संस्थाओं की अभातशिप एवं विश्वविद्यालय के मानकों के सम्बन्ध में शासन अथवा विश्वविद्यालय स्तर से कोई निरीक्षण अथवा जांच की जाती है अथवा कोई नोटिस जारी की जाती है तो सम्बन्धित संस्था(ओं) की सम्बद्धता तद कार्यवाही के अधीन होगी।

N

प्रश्नगत संस्था द्वारा प्रवेश में उ.प्र. शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश (अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2006 का अनुपालन किया जायेगा।

उपर्युक्त शर्तों के अनुपालन में अथवा संस्था के आकस्मिक निरीक्षण में किसी प्रकार की कामेयों पायी जाने/विचलन की स्थिति में संस्था की सम्बद्धता सम्बन्धी विशेषाधिकार को कम करने अथवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक : उपरोक्त्

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ ,वं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- प्रमुख सचिव, कुलाधिपति / श्री राज्यपाल महोदय, राजभवन, लखनज ।
- 2. सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- अध्यक्ष, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली।
- सम्बन्धित संस्था की पत्रावली।
- गार्ड फाइल।

(पी० विक्सेना) कुल्सधिव



महामाया प्राविधिक विश्वविद्यालय

सी-22,सैक्टर 62, नोएडा, गौतमबुद्धनगर,- 201301 फोन न0-0120-2472704/708,फैक्स न0-2472704

पत्र संख्या:-एम०टी०यू०/कुल० का०/सम्बद्धता/2013/5410/3

दिनांक.-31 10.2013

सेवा मे.

The Director, ABES Engineering College Ghaziabad (C.Code-032)

विषय :-संस्था को शैक्षिक सत्र 2012-13 हेतु सम्बद्धता एवं सत्र 2013-14 हेतु सम्बद्धता-विस्तारण के सम्बन्ध मे।

महोदय.

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने की अपेक्षा है कि शासन के पन्न सख्या—1382/सोलह—1—2013—13(3)/2013 टीसी दिनाक 15 05 2013 के द्वारा, उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 की घारा 23(2) एवं उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम 2010 एवं अखिल मारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के पन्न संख्या F.No. Northern/1-1362253342/2013/EOA, दिनांक 19 03 2013 एवं महामाया प्राविधिक विश्वविद्यालय, गौतमबुद्धनगर की कार्यपरिषद के अनुमोदन के उपरान्त निम्न पाठ्यक्रमों को उनके सम्मुख अकित प्रवेश क्षमता के साथ

M.Tech-

1- Computer Science & Engineering
2- Mechanical Engineering
3- Electronics and Communication Engineering
18 Seats
18 Seats

स्विवत्त पोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन शैक्षिक सत्र 2012-13 हेतु सम्बद्धता एव सत्र 2013-14 हेतु सम्बद्धता-विस्तारण की स्वीकृत प्रदान की गई है -

- 1 सरक्षा व्यावसायिक एव प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन/उ०प्र० प्राविधिक विश्वविद्यालय/महामाया प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश/शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित नियमानुसार अनुमन्य फीस ही प्रवेशित छात्रों से लेगी अन्यथा सम्बद्धता सम्बन्धी विशेषाधिकार को कम करने अथवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
- 2 संस्था को सम्बद्धता प्राप्त हो जाने के उपरान्त यदि संस्था द्वारा दर्शायी गयी सूचनाओ/विवरण मे किसी भी प्रकार की तुटि शासन/विश्वविद्यालय के सङ्गान मे आती है तो संस्था को प्रवत्त सम्बद्धता स्वत निरस्त समझी जाएगी।
- 3 सस्था से एक माह के अन्दर, सस्था मे कार्यरत शिक्षकों की सूची विश्वविद्यालय को प्रस्तुत की जायेगी ताकि इसे निर्देशानुसार उ०प्र० शासन को प्रस्तुत किया जा सके।
- 4 सस्था द्वारा महामाया प्राविधिक विश्वविद्यालय, गौतमबुद्धनगर को अपनी वेवसाइट पर यह सूचना उपलब्ध करायी जायेगी कि उनके द्वारा छात्रों से क्या फीस ली गयी है, अन्यथा संस्था के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही किये जाने पर विचार किया जायेगा।
- 5 अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का अनुमोदन प्राप्त न होने अथवा समाप्त होने की दशा में सम्बद्धता का यह अनुमोदन स्वतः निरस्त हो जायेगा।
- 6 सस्था में पायी गयी किमयों का पूर्ण रूपेण निराकरण हो जाने के पश्चात् ही प्राविधिक विश्वविद्यालय से आगामी वर्ष अर्थात् 2014–15 की सम्बद्धता विस्तारण की सस्तुति की जा सकेगी और तभी सस्था को प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित किया जा सकेगा।
- 7 बींग्फार्मा पादयक्रम सचालित करने वाली संस्थाए नियमत. फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया एवं बींग्आर्क0 पाद्यक्रम सचालित करने वाली संस्थाए नियमानुसार आर्कीटेक्चर काउन्सिल आफ इंडिया से आवष्यक अनुमोदन प्राप्त किया जाना सुनिष्चित करे।

- सस्था का शैक्षिक वर्ष के अन्तर्गत किसी भी समय आकिस्मक निरीक्षण विश्वविद्यालय द्वारा किया जा सकेगा और उक्त आकिस्मिक निरीक्षण में निर्धारित मानकों के सापेक्ष कोई किमयाँ नहीं है, संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
- 9 जिन सस्थाओं की अभातिशप एव विश्वविद्यालय के मानकों के सम्बन्ध में शासन अथवा विश्वविद्यालय स्तर से कोई निरीक्षण अथवा जांच की जाती है अथवा कोई नोटिस जारी की जाती है तो सम्बन्धित संस्था(ओं) की सम्बद्धता तद कार्यवाही के अधीन होगी।
- 10 प्रश्नगत संस्था द्वारा प्रवेश में उप्र शैक्षणिक सस्थाओं में प्रवेश (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछडे वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2006 का अनुपालन किया जायेगा।

उपर्युक्त शर्तों के अनुपालन में अथवा संस्था के आकस्मिक निरीक्षण ने किसी प्रकार की कमियाँ पायी जाने/विचलन की स्थिति में संस्था की सम्बद्धता सम्बन्धी विशेषाधिकार को कम करने अथवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय

००० __ कुलसचिव

B

पृष्ठाकन संख्या व दिनाक : उपरोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

- प्रमुख सचिव, कुलाधिपति / श्री राज्यपाल महोदय, राजभवन, लखनऊ ।
- 2 सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 3 अध्यक्ष, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषदं, नई दिल्ली।
- 4 सम्बन्धित सस्था की पत्रावली।
- 5 गार्ड फाइल।

र् कुलसचिव